

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत आवंटन/नीलामी सूचना

आवंटन/नीलामी
23.03.2015 एवं 30.03.2015

समय :
प्रातः 10:30 बजे

नीलामी स्थल :

नवीन भवन मुख्यालय, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

गढ़वाल मण्डल की नीलामी से निस्तारित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

नीलामी दि 23.03.2015 एवं दि 30.03.2015

सम्पत्ति श्रेणी (आरक्षण सहित)/ संख्या	क्षेत्रफल व 0 मी 0	आरक्षित दर (प्र 0 व 0 मी 0)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख)
--	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------

वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश

सामुदायिक केन्द्र-1 लीज पर	1845.00	रु. 20900.00	रु. 452.00	रु. 45.20
----------------------------	---------	--------------	------------	-----------

दून विस्तार योजना, देहरादून

सामुदायिक केन्द्र-1 लीज पर	945.84	रु. 30800.00	रु. 296.87	रु. 29.70
----------------------------	--------	--------------	------------	-----------

नेहरू नगर योजना, देहरादून

सामुदायिक केन्द्र-1 लीज पर	3113.44	रु. 20900.00	रु. 688.73	रु. 68.87
यूटिलिटी भूखण्ड (ओबीसी)	66.00	रु. 21800.00	रु. 14.05	रु. 1.40
आवासीय भूखण्ड संख्या-एच-66/10 (ओबीसी)	113.00	रु. 21280.00	रु. 24.05	रु. 2.40
भवन संख्या आई-299 से लगी हुई अतिरिक्त भूमि (सामान्य)	25.93	रु. 21280.00	रु. 5.52	रु. 0.52

इन्दिरा नगर योजना, देहरादून

व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-723/1 (कारनर भूखण्ड) (ओबीसी)	45.30	रु. 41888.00	रु. 18.98	रु. 1.90
व्यावसायिक भूखण्ड सं-723/2 (सामान्य)	43.80	रु. 38080.00	रु. 16.68	रु. 1.67
व्यावसायिक भूखण्ड सं-723/4 (सामान्य)	40.20	रु. 38080.00	रु. 15.31	रु. 1.54
व्यावसायिक भूखण्ड सं-723/5 (ओबीसी)	39.60	रु. 38080.00	रु. 15.08	रु. 1.51
आवासीय भूखण्ड सं-624/13 (सामान्य)	146.45	रु. 19040.00	रु. 27.89	रु. 2.80
आवासीय भूखण्ड सं-624/14 (सामान्य)	133.45	रु. 19040.00	रु. 25.41	रु. 2.55
आवासीय भूखण्ड सं-624/16 (सामान्य)	134.72	रु. 19040.00	रु. 25.65	रु. 2.57
आवासीय भूखण्ड सं-624/17 (सामान्य)	120.04	रु. 19040.00	रु. 22.86	रु. 2.29
आवासीय भूखण्ड सं-624/18 (ओबीसी)	114.48	रु. 19040.00	रु. 21.80	रु. 2.18

लाटरी द्वारा आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति श्रेणी (आरक्षण सहित)/ संख्या	क्षेत्रफल व 0 मी 0	आरक्षित दर (प्र 0 व 0 मी 0)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	पंजीकरण धनराशि (लाख)
इन्दिरा नगर योजना, देहरादून				
आवासीय भूखण्ड संख्या-624/19 (अनु जाति)	73.26	रु. 19040.00	रु. 13.95	रु. 1.40
आवासीय भूखण्ड संख्या-624/20 (सामान्य)	68.80	रु. 19040.00	रु. 13.10	रु. 1.31
आवासीय भूखण्ड संख्या-आरबी-06 (सामान्य) (पुराने स्ट्रक्चर का मूल्य शामिल किया जाना है)	79.00	रु. 19040.00	रु. 15.05	रु. 1.50

कुमाऊँ मण्डल की आवासीय/व्यावसायिक एवं स्कूल भूखण्डों का विवरण

योजना संख्या-2, काशीपुर

व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-सी/एस-2	118.95	रु. 22400.00	रु. 26.65	रु. 2.67
----------------------------------	--------	--------------	-----------	----------

अल्मोड़ा योजना

आवासीय भूखण्ड संख्या-11	96.00	रु. 9240.00	रु. 8.88	रु. 0.89
-------------------------	-------	-------------	----------	----------

स्कूल भूखण्ड

योजना संख्या-2, काशीपुर

स्कूल भूखण्ड (कारनर)	4085.90	रु. 12100.00	रु. 494.40	रु. 49.44
----------------------	---------	--------------	------------	-----------

खटीमा योजना संख्या-1

स्कूल भूखण्ड	920.00	रु. 9075.00	रु. 83.49	रु. 8.35
--------------	--------	-------------	-----------	----------

नोट: फार्म, संबंधित कार्यालय से दिनांक 16.03.2015 से 27.03.2015 तक प्राप्त किया जा सकता है और पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म 27.03.2015 तक जमा किये जा सकते हैं। पात्र संस्थाओं के पक्ष में आगामी माहों में नीलामी तत्समय की भूमि वरों पर की जायेगी।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासन/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्ति के आवंटन एवं नीलामी में भाग लेने वाले आवेदन पत्र 2 दिन पूर्व तथा सीलबिड फार्म एक दिन पूर्व का प्रारूप निर्धारित मूल्य 100 रु 0 जमा कर सम्बन्धित योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त/जमा किये जा सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उपरो आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, जमा कर टोकन प्राप्त करना/सील बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहाँ है, जैसे है, के आधार पर आवंटित की जायेगी। (5) सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (6) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती हैं।

नोट: दिनांक 23.03.2015 को आवंटन/नीलामी से अवशेष सम्पत्तियों को निस्तारण आवंटन/नीलामी के माध्यम से 30.03.2015 को किया जायेगा।

आवास आयुक्त



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

• Website: <http://www.upavp.com> • Email: info@upavp.com



परिषद में शाकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए
जन-सुविधा केन्द्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। हायल करें :
1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।